न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 14/2021 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा **बनाम** रामस्वरूप पिता सरदारा दरोगा वारीसान महेन्द्र, लक्ष्मण पिता रामस्वरूप, राजू, रतन पुत्रिया रामस्वरूप, नन्दू पत्नी रामस्वरूप दरोगा निवासी कोटडी तहसील बनेडा

—प्रार्थी —विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित —
1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 23.09.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम जालिया खेडा की आ.न. 311/223 रकबा 5.00 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 19.01.2021 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि विपक्षी के सम्मन की तामील में विपक्षी श्रीमती नंदू देवी पत्नी रामस्वरूप फोत होना, विपक्षी महेन्द्र, लक्ष्मण बावजूद सूचना के

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

उपस्थित नहीं एवं शेष विपक्षीयों की सकुनत गलत होना अंकित किया है। प्रार्थी तहसीलदार बनेडा ने सही कायम मुकान रिपोर्ट व सही सकुनत मय सम्मन नोटिस पेश नही कर विपक्षी के विरूद्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) प्रस्तुत किया है, जो नियम विरूद्व होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाता हैं।

तहसीलदार बनेडा द्वारा कायम मुकाम रिपोर्ट व सही सकुनत रिपोर्ट मय सम्मन भी पेश नही किये गये। जबकि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 19.01.2021 से ही पंजीबद्व चला आ रहा है। प्रकरण में काफी समय व्यतीत होने पर भी प्रार्थी ने विधिवत प्रकिया नही अपनायी है, इस प्रकार तहसीलदार बनेडा ने न्यायालय का श्रम व समय अनावश्यक जाया किया है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार बनेडा को प्रेषित की जावे। तहसीलदार बनेडा पूर्ण दस्तावेज की जांच कर प्रकरण नये सिरे से न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा